कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/गुण. तथा प्रशि. अनु./MSRA/61186/2024–25/पार्ट–2 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषयः– कक्षा 3 तथा 6 के विद्यार्थियों हेतु "मौखिक पठन प्रवाह" (ORF- Oral Reading Fluency) बेसलाईन आकलन के संबंध में निर्देश।

प्रसंग– कार्यालय हाजा समसंख्यक पत्र दिनांक 12.04.2025 एवं 01.05.2025।

उपर्युक्त विषयांर्तगत राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने और इसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांकः 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए विगत सत्र में वाधवानी एआई फाउंडेशन के सहयोग से कक्षा 3, 4, 6 व 7 के विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों की पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शालादर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लूऐंसी (ORF) बेसलाईन आकलन को 02 मई 2025 से 16 मई 2025 तक संचालित किया गया।

विद्यार्थियों की समग्र स्थिति और पुनर्सुधार शिक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ORF आधारित पठन स्तर Classification/cohortization एवं Remediation की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वर्तमान सत्र में कक्षा 3 तथा 6 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का भी ORF बेसलाईन आकलन किया जाना आवश्यक है।

अतः इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र में कक्षा 3 तथा कक्षा 6 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिन्दी विषय का ORF का आकलन दिनांकः 18 अगस्त से 25 अगस्त, 2025 के मध्य शालादर्पण शिक्षक ऐप के ओआरएफ मॉड्यूल के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षकों को ORF मूल्यांकन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु निम्नांकित वीडियो लिंक्स का उपयोग किया जा सकता है–

- ORF डेमो वीडियो: https://bit.ly/Demovideo_ORF
- उपयोगकर्ता मार्गदर्शन: https://bit.ly/UserManual_ORFxShikshakApp
- ORF मुख्य बिन्दु : https://bit.ly/ORF_main_points

नोटः– इस हेतु आवश्यक सब्जेक्ट टीचर मैंपिग को दिनांकः 16 अगस्त, 2025 को दोपहर 02:00 बजे तक करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आकलन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित की जा सके। यदि निर्धारित तिथि तक सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं करवायी गई तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित PEEO की निर्धारित की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।

RajKaj Ref No.:
16432518
eSign DSC

4. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
5. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना एव ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय लॉगिन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
7. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
9. मुख्य पदाधिकारी एवं सीएफओ, वाधवानी एआई लार्ड्स एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सोसायटी 70, रिंग रोड़, 2 Floor, लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 के संबंध में आवश्यक समन्वय करने हेतु।
10. समस्त संस्थाप्रधान।
11. प्रोग्राम लीड तथा पीएमयू फेलो समस्त जिले।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :12-08-2025 06:17:33

RajKaj Ref No.:
16432518

eSign DSC

<u>कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर</u>

क्रमांकः– शिविरा–माध्य/गुण. तथा प्रशि. अनु./MSRA/61186/2024-25 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

संबंधित सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ।

विषयः– मौखिक पठन प्रवाह (ORF) कार्यक्रम का राज्यव्यापी शुभारंभ एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांकः 29.03.2025 को शुभारंभ किये गये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) का शुभारंभ किया गया है, जो समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों का एक व्यापक एवं समग्र पहल है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त करना है। विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति को और अधिक सुदृढ़ करने, उनकी प्रवाहशीलता, सटीकता एवं पठन प्रवाह गति को उन्नत करने के उद्देश्य से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) पर केंद्रित **मौखिक पठन प्रवाह (ORF) कार्यक्रम** प्रारंभ किया जा रहा है।

❖ **मौखिक पठन प्रवाह अथवा ओआरएफ (ओरल रीडिंग फ्लुएंसी) क्या है?**

- ओआरएफ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पहल है, जो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर उनके पठन कौशल का विश्लेषण करती है।
- यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की धाराप्रवाह पढ़ने की क्षमता को मापता है तथा उनके कौशल अंतराल की पहचान करता है।
- प्रवाहशीलता (प्रति मिनट सही शब्द – CWPM) एवं सटीकता के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति समझ सकेंगे और लक्षित सहयोग प्रदान कर सकेंगे।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 के लिए हिन्दी भाषा पठन प्रवाह दक्षता सुधार के लिए तैयार किया गया है।
- यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए वाधवानी एआई फाउंडेशन के सहयोग से शालादर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाया जायेगा।
- इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ऐप के माध्यम से ही विद्यार्थी के दक्षता स्तर के अनुरूप रोचक पठन सामग्री दी जाएगी जिसे विद्यार्थी को निर्धारित समय में पढ़ना होगा।

❖ **मौखिक पठन प्रवाह अथवा ओआरएफ (ओरल रीडिंग फ्लुएंसी) के उद्देश्यः**

- विद्यार्थियों का व्यैक्तिक रूप से पठन दक्षता का आकलन किया जाना।
- विद्यार्थियों की धाराप्रवाह पठन क्षमता के आकलन के पश्चात् उनके दक्षता स्तर के अनुरूप आवश्यक कौशल विकास।
- शैक्षिक रणनीतियों को प्रभावी बनाने हेतु आंकड़ा–संग्रह एवं विश्लेषण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.04.12 11:24:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14713488

❖ **ओआरएफ टाईमलाईनः**

गतिविधि	समय सीमा
फील्ड अधिकारी आमुखीकरण (संचार सहित)	16 अप्रेल
पीईईओ / यूसीईईओ एवं शिक्षक आमुखीकरण	17 अप्रेल
ओआरएफ अभ्यास चरण	21—23अप्रेल
ओआरएफ आकलन का राज्यव्यापी शुभारंभ	28 अप्रैल से 3 मई

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें उनकी कक्षा की समग्र स्थिति और पुनर्सुधार शिक्षण योजनाएँ शामिल होंगी। ORF मूल्यांकन के उपरांत, पठन स्तर के आधार पर Classification/cohortization 16 मई से पूर्व एवं Remediation की प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के पश्चात कराई जाएगी।

इस क्रम में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रथम चरण में दिनांकः 21 अप्रेल 2025 से 23 अप्रेल 2025 तक विद्यालयों में ओआरएफ अभ्यास चरण संचालित किया जाना है। इस हेतु "शाला दर्पण शिक्षक ऐप" का apk लिंक शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग कर ऐप डाउनलोड करके परीक्षण किया जाना है।

❖ **फील्ड अधिकारियों के दायित्व एवं आमुखीकरण :**

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारंभिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का **आमुखीकरण DoIT&C के जिला / ब्लॉक केन्द्रों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांकः 16 अप्रैल 2025 को अपराहन 12 से 2 बजे तक किया जाएगा।**
2. उक्त समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा करेंगें एवं किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगें।
3. शाला दर्पण लॉगिन रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिदिवस विद्यालयों में कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करेंगे।
4. संबंधित पीईईओ / **यूसीईईओ एवं शिक्षक आमुखीकरण DoIT&C के जिला / ब्लॉक केन्द्रों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांकः 17 अप्रैल 2025 को सांय 4 से 6 बजे तक किया जाएगा।**
5. पीईईओ / यूसीईईओ का नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्राधीन संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करें एवं कक्षा में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करावें।
6. प्रत्येक फील्ड अधिकारी को अभ्यास चरण एवं आकलन के दौरान इन विद्यालयों का भ्रमण कर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में फील्ड फीडबैक लेना होगा। इस फीडबैक का संकलन कर जिला पीएमयू फेलोस ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।
7. जिला पीएमयू फेलोस 16 व 17 अप्रैल को वीसी के माध्यम से आयोजित आमुखीकरण में भी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें।
8. शाला दर्पण पोर्टल पर ओआरएफ पूर्णता ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

❖ **शिक्षकों के दायित्व एवं आमुखीकरण :**

1. शिक्षकों को ओआरएफ मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु डेमो वीडियो साझा किया जाएगा।
2. विद्यार्थियों के पठन प्रवाह के उचित आकलन हेतु विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न स्तरों के पैराग्राफ, शब्द एवं वाक्य पढ़ने के लिए कहा जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.04.12 11:24:15 IST
Reason: Approved

3. शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अपने पीईईओ विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ओआरएफ मूल्यांकन के सफल क्रियान्वयन विद्यार्थियों की पठन दक्षता का सही मूल्यांकन कर उन्हें आवश्यक शिक्षण सहायता प्रदान की जा सकेगी। अतः अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यक्रम के सभी स्तरों (आमुखीकरण चरण, अभ्यास चरण, आकलन चरण) को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः यथोक्त

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
5. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना एवं संलग्न प्रारुप में ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय लॉगिन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
9. मुख्य पदाधिकारी एवं सीएफओ, वाधवानी एआई लार्ड्स एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सोसायटी 70, रिंग रोड़, 2 Floor, लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 के संबंध में आवश्यक समन्वय करने हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. संबंधित संस्थाप्रधान।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.04.12 11:24:15 IST
Reason: Approved

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / गुण. तथा प्रशि. अनु. / MSRA /61186 / 2024-25 दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

संबंधित सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा।
संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
संबंधित पीईईओ / यूसीईईओ।

विषयः– मौखिक पठन प्रवाह (ORF) कार्यक्रम का राज्यव्यापी शुभारंभ एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांकः 29.03.2025 को शुभारंभ किये गये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) का शुभारंभ किया गया है, जो समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों का एक व्यापक एवं समग्र पहल है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त करना है। विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति को और अधिक सुदृढ़ करने, उनकी प्रवाहशीलता, सटीकता एवं पठन प्रवाह गति को उन्नत करने के उद्देश्य से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) पर केंद्रित **मौखिक पठन प्रवाह (ORF) कार्यक्रम** प्रारंभ किया जा रहा है।

❖ **मौखिक पठन प्रवाह अथवा ओआरएफ (ओरल रीडिंग फ्लुएंसी) क्या है?**

- ओआरएफ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पहल है, जो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर उनके पठन कौशल का विश्लेषण करती है।
- यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की धाराप्रवाह पढ़ने की क्षमता को मापता है तथा उनके कौशल अंतराल की पहचान करता है।
- प्रवाहशीलता (प्रति मिनट सही शब्द – CWPM) एवं सटीकता के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति समझ सकेंगे और लक्षित सहयोग प्रदान कर सकेंगे।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 के लिए हिन्दी भाषा पठन प्रवाह दक्षता सुधार के लिए तैयार किया गया है।
- यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए वाधवानी एआई फाउंडेशन के सहयोग से शालादर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाया जायेगा।
- इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ऐप के माध्यम से ही विद्यार्थी के दक्षता स्तर के अनुरूप रोचक पठन सामग्री दी जाएगी जिसे विद्यार्थी को निर्धारित समय में पढ़ना होगा।

❖ **मौखिक पठन प्रवाह अथवा ओआरएफ (ओरल रीडिंग फ्लुएंसी) के उद्देश्यः**

- विद्यार्थियों का व्यैक्तिक रूप से पठन दक्षता का आकलन किया जाना।
- विद्यार्थियों की धाराप्रवाह पठन क्षमता के आकलन के पश्चात् उनके दक्षता स्तर अनुरूप आवश्यक कौशल विकास।
- शैक्षिक रणनीतियों को प्रभावी बनाने हेतु आंकड़ा–संग्रह एवं विश्लेषण।

RajKaj Ref No.: 14713488

❖ **ओआरएफ टाईमलाईनः**

गतिविधि	समय सीमा
फील्ड अधिकारी आमुखीकरण (संचार सहित)	16 अप्रैल
पीईईओ/यूसीईईओ एवं शिक्षक आमुखीकरण	17 अप्रैल
ओआरएफ अभ्यास चरण	21–23अप्रैल
ओआरएफ आकलन का राज्यव्यापी शुभारंभ	28 अप्रैल से 3 मई

यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें उनकी कक्षा की समग्र स्थिति और पुनर्सुधार शिक्षण योजनाएँ शामिल होंगी। ORF मूल्यांकन के उपरांत, पठन स्तर के आधार पर Classification/cohortization 16 मई से पूर्व एवं Remediation की प्रक्रिया ग्रीष्मावकाश के पश्चात कराई जाएगी।

इस क्रम में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रथम चरण में दिनांकः 21 अप्रेल 2025 से 23 अप्रेल 2025 तक विद्यालयों में ओआरएफ अभ्यास चरण संचालित किया जाना है। इस हेतु "शाला दर्पण शिक्षक ऐप" का apk लिंक शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग कर ऐप डाउनलोड करके परीक्षण किया जाना है।

❖ **फील्ड अधिकारियों के दायित्व एवं आमुखीकरण :**

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का **आमुखीकरण DoIT&C के जिला/ब्लॉक केन्द्रों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांकः 16 अप्रैल 2025 को अपराहन 12 से 2 बजे तक किया जाएगा।**
2. उक्त समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा करेंगें एवं किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगें।
3. शाला दर्पण लॉगिन रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिदिवस विद्यालयों में कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करेंगे।
4. संबंधित पीईईओ/**यूसीईईओ एवं शिक्षक आमुखीकरण DoIT&C के जिला/ब्लॉक केन्द्रों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांकः 17 अप्रैल 2025 को सांय 4 से 6 बजे तक किया जाएगा।**
5. पीईईओ/यूसीईईओ का नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्राधीन संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करें एवं कक्षा में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करावें।
6. प्रत्येक फील्ड अधिकारी को अभ्यास चरण एवं आकलन के दौरान इन विद्यालयों का भ्रमण कर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में फील्ड फीडबैक लेना होगा। इस फीडबैक का संकलन कर जिला पीएमयू फेलोस ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।
7. जिला पीएमयू फेलोस 16 व 17 अप्रैल को वीसी के माध्यम से आयोजित आमुखीकरण में भी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें।
8. शाला दर्पण पोर्टल पर ओआरएफ पूर्णता ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

❖ **शिक्षकों के दायित्व एवं आमुखीकरण :**

1. शिक्षकों को ओआरएफ मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु डेमो वीडियो साझा किया जाएगा।
2. विद्यार्थियों के पठन प्रवाह के उचित आकलन हेतु विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न स्तरों के पैराग्राफ, शब्द एवं वाक्य पढ़ने के लिए कहा जाये।

RajKaj Ref No.: 14713488

3. शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अपने पीईईओ विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ओआरएफ मूल्यांकन के सफल क्रियान्वयन विद्यार्थियों की पठन दक्षता का सही मूल्यांकन कर उन्हें आवश्यक शिक्षण सहायता प्रदान की जा सकेगी। अतः अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यक्रम के सभी स्तरों (आमुखीकरण चरण, अभ्यास चरण, आकलन चरण) को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः यथोक्त

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
5. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना एवं संलग्न प्रारुप में ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय लॉगिन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
9. मुख्य पदाधिकारी एवं सीएफओ, वाधवानी एआई लार्ड्स एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सोसायटी 70, रिंग रोड़, 2 Floor, लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 के संबंध में आवश्यक समन्वय करने हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. संबंधित संस्थाप्रधान।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.: 14713488

User Manual ShalaDarpanShikshak App

First time Login with Staff Login ID & Password & create PIN

Home Page

किसी एक विकल्प का चयन करें
विद्यार्थी आँकलन(MSRA)
विद्यार्थी उपस्थिति
ATTENDANCE
शाला स्वास्थ्य परीक्षण
डिजिटल प्रवेशोत्सव
मौखिक धाराप्रवाह पठन आंकलन

<u>Step-</u>1 मौखिक धाराप्रवाहपठनआंकलन

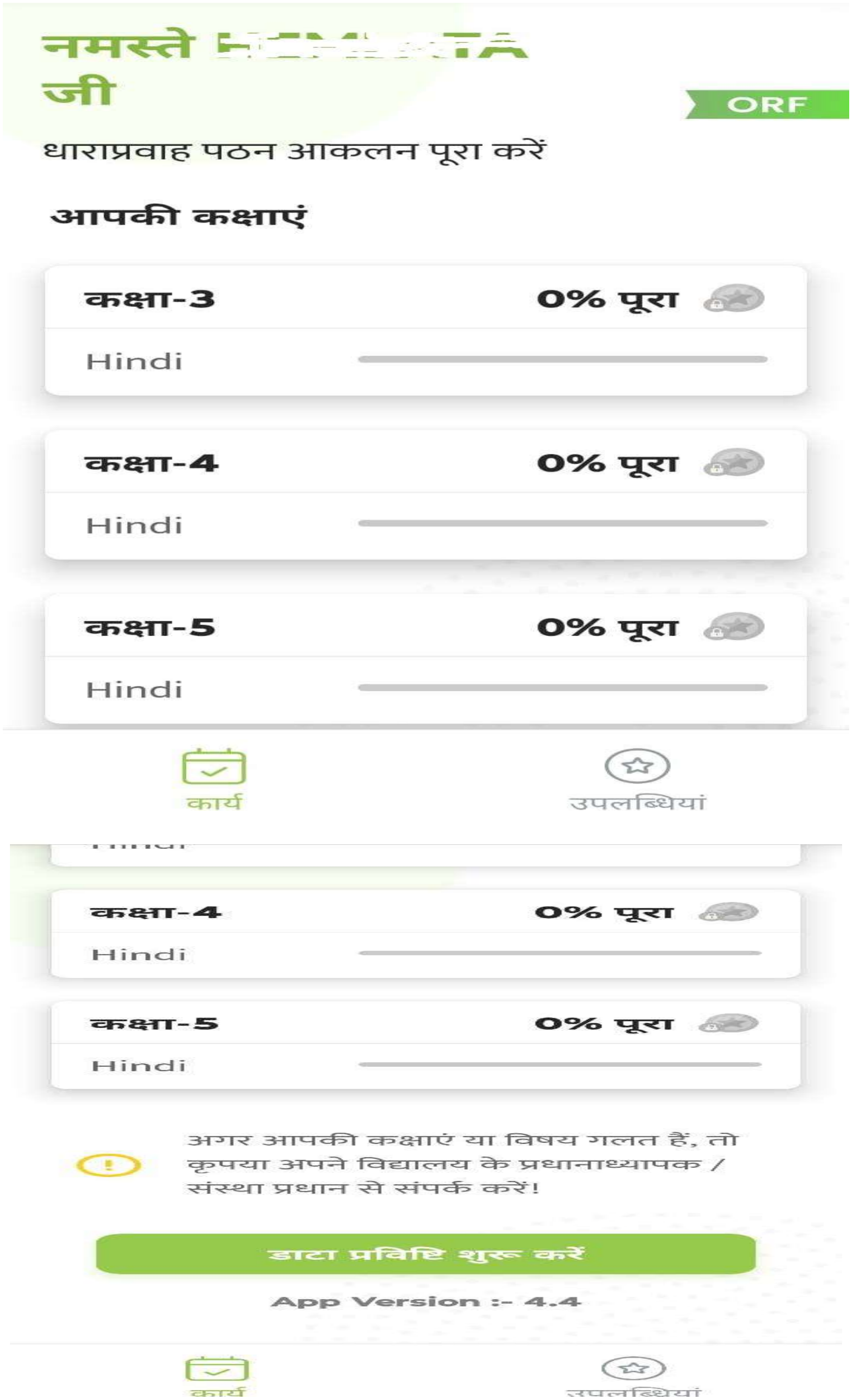

Step-2

चरण 2/3 : आकलन के लिए छात्र चुनें

ORF

आज आप किस विद्यार्थी का धाराप्रवाह पठन आकलन करना चाहेंगे?

पूरा नहीं हुआ (16) | सफलतापुर्वक पूरा (0)

यह सूची उन छात्रों की है जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है, या केवल 2 में से 1 आकलन ही पूरा हुआ है।

आपके विद्यार्थी

1 Aarti Sharma >

2 Abhishek Manglav >

3 Anjani Kumari >

Step-3

चुनें
ORF
आज आप किस विद्यार्थी का धाराप्रवाह पठन आकलन करना चाहेंगे?
Aarushi Kumari
पिता का नाम - Amarjeet Kumar
कक्षा - 3 • Hindi
आकलन शुरु करें
अनुपस्थित अंकित करें
2 Ashish Bhati
3 Ashish Kumar
4 ASHWIN KUMAR TAK

Step-4

इस ऐप को अपना काम करने के लिए आप फ़ोन के लोकेशन और माइक के एक्सेस की ज़रूरत है। कृपया इसकी अनुमति दें।

हमें निम्नलिखित का एक्सेस चाहिए

लोकेशन का एक्सेस

इससे अलग अलग जगह के स्कूलों का प्रदर्शन समझा जाएगा

माइक का एक्सेस

इससे अनुच्छेद (पैराग्राफ) के पठन की रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी

डेटा की सुरक्षा

आपका निजी डेटा बिलकुल सुरक्षित है। हम आपका डेटा किसी और संस्था के साथ कभी नहीं बाँटते हैं, ना ही हम किसी और को आपका डेटा बेचते हैं

में अनुमति देता/देती हूँ

Step-5

आकलन कैसे करें

आकलन करते समय
निम्नलिखित सुनिश्चित करें

Online

इंटरनेट से जुड़े रहें

सुनिश्चित करें कि आप
आकलन के दौरान इंटरनेट
से जुड़े रहें

क्या आपने ये निर्देश पढ लिए हैं?

आगे बढ़ें

Step-6

आकलन कैसे करें

आकलन करते समय
निम्नलिखित सुनिश्चित करें

माइक काम कर रहा है

आकलन शुरु करने से पहले
सुनिश्चित करें की माइक
काम कर रहा है या नहीं

क्या आपने ये निर्देश पढ लिए हैं?

आगे बढ़ें

Step-7

निम्नलिखित सुनिश्चित करें

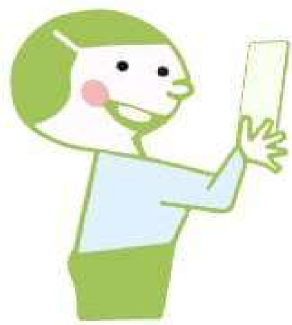

फ़ोन पास रखें

फ़ोन को आराम से पढ़ सकने वाली दूरी पर ही रखें, ना ज़्यादा पास ना दूर

क्या आपने ये निर्देश पढ लिए हैं?

आगे बढ़ें

Step-8

निम्नलिखित सुनिश्चित करें

अध्यापक रिकॉर्डिंग सुनें

अपलोड करने से पहले
रिकॉर्डिंग सुनकर जांच लें
की रिकॉर्डिंग अपलोड करने
योग्य है या नहीं

आगे बढ़ें

Step-9

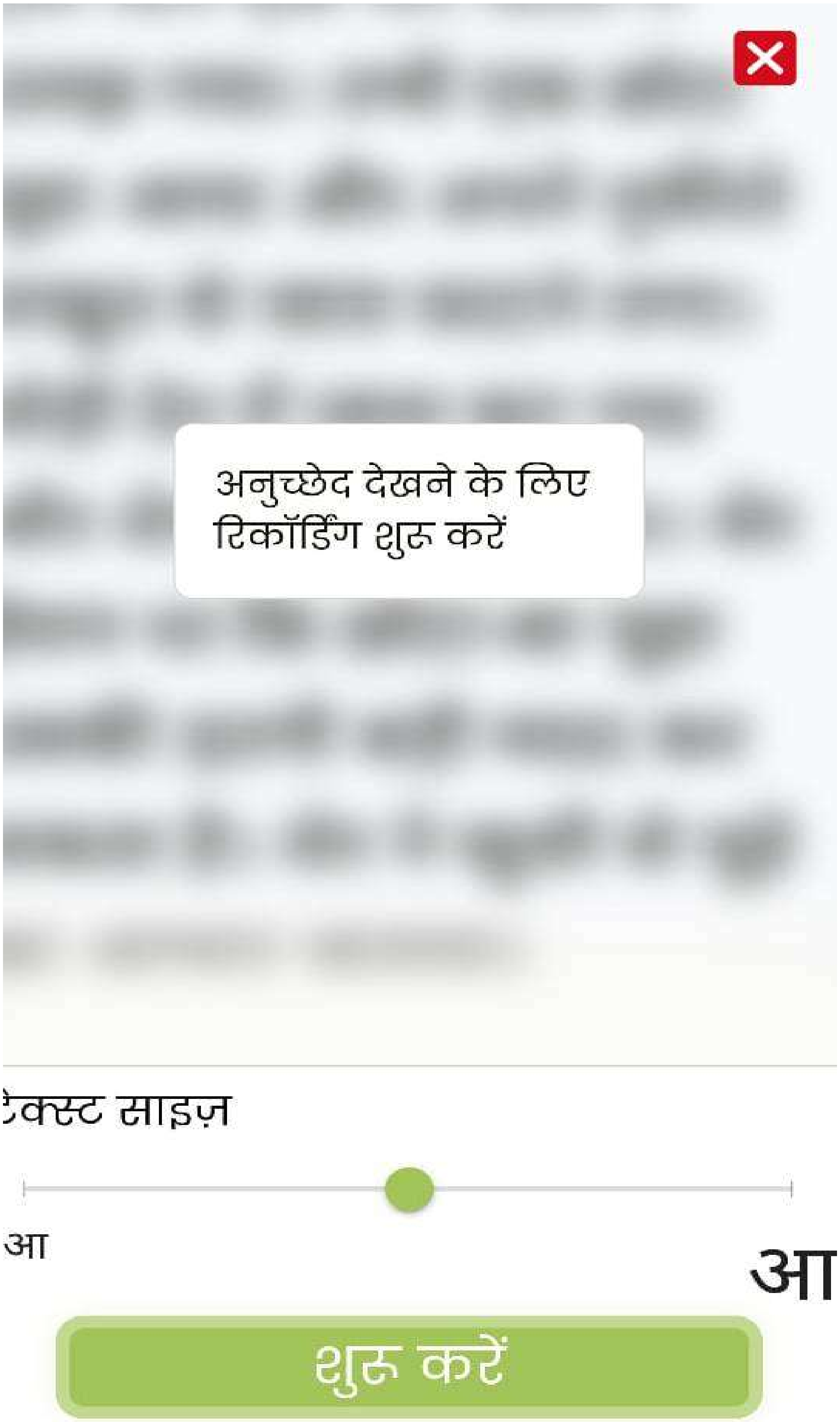

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / गुण. तथा प्रशि. अनु. / MSRA/61186 / 2024.25 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।

विषयः– "मौखिक पठन प्रवाह" (ORF - Oral Reading Fluency) के संबंध में अतिरिक्त निर्देश (Addendum) ।

प्रसंग– कार्यालय हाजा समसंख्यक पत्र दिनांक 12.04.2025

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में ''मौखिक पठन प्रवाह'' (ORF - Oral Reading Fluency) के संबंध में निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश (Addendum) प्रदान किये जाते है–

1. वर्तमान में ORF कार्यक्रम कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के विद्यार्थियों के हिन्दी पठन दक्षता सुधार हेतु आयोजित किया जा रहा है । यह सुनिश्चित किया जाये कि 100% विद्यार्थी मूल्यांकन में शामिल हों।
2. ORF कार्यक्रम की अद्यतन टाईमलाईन निम्नवत् रहेगी:

ORF अभ्यास चरण :	दिनांक 2 मई 2025 व 3 मई 2025
ORF मूल्यांकन चरण:	दिनांक 5 मई 2025 से 9 मई 2025 तक

3. अभ्यास एवं मूल्यांकन दोनों कार्यक्रमों का संचालन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ''मौखिक धाराप्रवाह पठन आकलन'' आईकॉन का चयन करके किया जायेगा ।
4. शिक्षकों को ORF मूल्यांकन की प्रक्रिया की विस्त्त जानकारी हेतु निम्नांकित वीडियों लिंक्स का उपयोग किया जा सकता है–
   - ORF डेमो वीडियो: https://bit.ly/Demovideo_ORF
   - उपयोगकर्ता मार्गदर्श: https://bit.ly/UserManual_ORFxShikshakApp
   - ORF मुख्य बिन्दु : https://bit.ly/ORF_main_points
5. मूल्यांकन के दौरान एक समय में एक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जायेगा । पहले कठिन एवं फिर आसान पठन करवाया जाए। विद्यार्थी को कठिनाई महसूस होने पर विद्यार्थी को एक और अवसर दिया जायेगा ।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं पढ़ने की प्रक्रिया में रखना होगा, शिक्षक द्वारा पढने में सहायता नहीं की जायेगी तथा मूल्यांकन बिना किसी व्यवधान के वातावरण में ही किया जायेगा।
7. शिक्षकों एवं फील्ड अधिकारी किसी भी समस्या / शंका के निवारण हेतु या जानकारी हेतु पर अपने पीईईओ / पीएमयू फेलो से संपर्क कर सकेंगें।

इस क्रम में समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यास एवं मूल्यांकन सत्र के दौरान अपने जिला पीएमयू फेलोस के साथ विद्यालयों का भ्रमण कर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के संबंध में फील्ड फीडबैक लेवें तथा जिला पीएमयू फेलोस द्वारा फील्ड फीडबैक रिपोर्ट निर्मित करवा प्रस्तुत करावें। यह रिपोर्ट शाला दर्पण पर निम्न विकल्प पर प्राप्त की जा सकती है :–

RajKaj Ref No.: 15024707

1. ORF Monitoring Reports =>

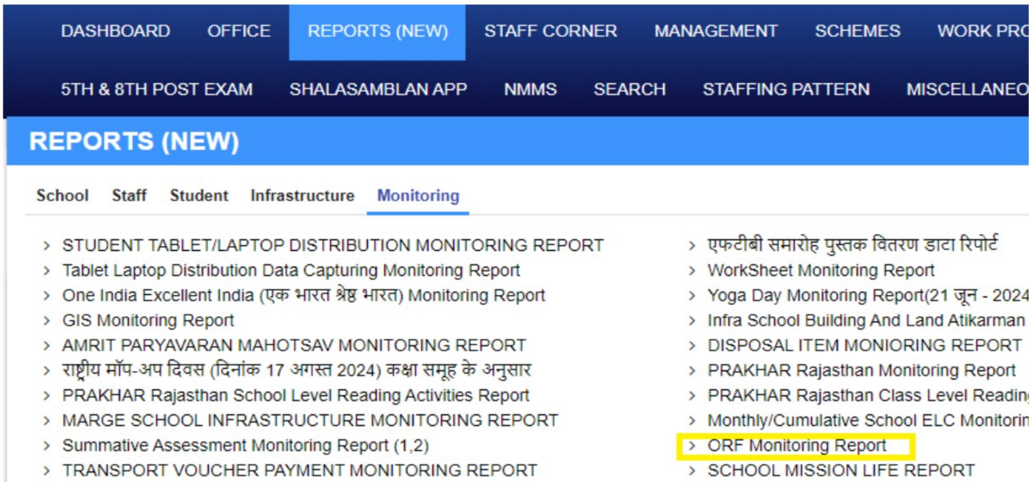

कृपया रिपोर्ट के आधार पर प्रबोधन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय/ब्लॉक/जिला स्तर पर ORF अभ्यास/आकलन किए गए विद्यार्थियों की प्रगति जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के ORF आकलन को नियत समय पर पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। यह अतिरिक्त निर्देश पूर्व पारित आदेश का अनिवार्य भाग होगें और उस के साथ ही पारित माना जाएगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
5. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही करवाना एवं ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य स्तरीय लॉगिन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
9. मुख्य पदाधिकारी एवं सीएफओ, वाधवानी एआई लाईस एज्यूकेशन एण्ड हैल्थ सोसायटी 70, रिंग रोड़, 2 Floor, लाजपत नगर नई दिल्ली 110024 के संबंध में आवश्यक समन्वय करने हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त संस्थाप्रधान।
12. प्रोग्राम लीड तथा पीएमयू फेलो समस्त जिले।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :01-05-2025 07:36:49